



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272828
CG-DL-E-23052026-272828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 362]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 403(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (ख), (ज) और (ञ) और धारा 22 की उप-धारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या उसके पश्चात् बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्दिष्ट अवधि के भीतर श्री दीपक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वितीय तल, कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं अथवा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों को विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) - मानक आवंटन से अधिक राज्य द्वारा किए गए व्यय और बिना विधायिका वाली संघ राज्यक्षेत्रों के लिए योजना व्यय की रीति और प्रक्रिया नियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो, —

- (क) “अधिनियम” से विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का सं. 36) अभिप्रेत है;
- (ख) “अधिक व्यय” का अर्थ है राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा योजना के तहत किया गया कोई भी व्यय जो किसी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राज्य-वार मानक आवंटन से अधिक है और कोई भी अतिरिक्त राशि जो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को अधिनियम की धारा 22 के तहत वहन करने की आवश्यकता हो;
- (ग) “मानक आवंटन” का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) और धारा 22 की उप-धारा (4) के तहत निर्दिष्ट आवंटन;
- (घ) “योजना” का अर्थ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना है;
- (ङ.) “राज्य” का अर्थ संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य और इसमें शामिल संघ राज्य क्षेत्र;
- (च) यहाँ प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए गए, किन्तु 2025 के अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो 2025 के अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं।

3. बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए योजना का व्यय- संघ राज्यक्षेत्र के लिए, जिसमें विधायिका नहीं है, केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के तहत योजना का पूरा व्यय वहन करेगी, जिसे भारत सरकार के मौजूदा वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और तंत्रों के अनुसार जारी किया जाएगा।

4. राज्य द्वारा अपने मानक आवंटन से अधिक व्यय किया गया- (1) अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) के अनुसार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण पद्धति उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर) के लिए 90: 10 और विधायिका के साथ अन्य सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 60: 40 होगा।

(2) केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (5) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित उद्देश्य मानकों के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य-वार मानक आवंटन निर्धारित करेगी।

(3) किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अपने मानक आवंटन से अधिक किया गया कोई भी व्यय अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (5) के तहत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

5. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त व्यय के पद्धति और प्रक्रिया।- (1) केंद्र स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने, निगरानी और सूचित मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, अनुमोदित मानक आवंटन से अधिक व्यय सहित योजना के तहत सभी व्यय को निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से दर्ज किया जाएगा।

(2) निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली व्यय की घटक-वार और संसाधन-वार रिपोर्टिंग करेगी ताकि आवंटन से परे व्यय के कारण केंद्रीय सहायता से वित्तपोषित अंश और मानक राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित अंश को स्पष्ट रूप से पहचान किया जा सके।

(3) इस तरह की सभी रिपोर्टिंग और सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से नामित प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से और केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा निधि-प्रवाह तंत्र के अनुरूप की जानी चाहिए।

(4) निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज किए गए मानक आवंटन से परे व्यय से संबंधित डेटा योजना के तहत समीक्षा, लेखापरीक्षा और वित्तीय प्रबंधन के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. -V]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 403(E).—Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clauses (b), (h) and (j) of sub-section (2) of section 33, and sub-section (6) of section 4, and sub-sections (3) and (5) of section 22 of the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya Bhawan-3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) – Manner and procedure of expenditure incurred by the State in excess of the Normative Allocation and expenses of the scheme for the Union Territories without legislature Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025);
- (b) “Excess expenditure” means any expenditure incurred under the Scheme by the State/UT that exceeds the State-wise normative allocation determined by the Central Government for a financial year and any additional amount that the State/UT is required to bear under Section 22 of the Act;
- (c) “Normative Allocation” means the allocation as specified under sub-section (5) of Section 4 and sub-section (4) of Section 22 of the Act;
- (d) “Scheme” means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (e) “State” means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union territory;
- (f) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025.

3. Expenses of the scheme for the Union Territories without legislature- For the Union territories without a Legislature, the Central Government shall bear the entire expenditure of the Scheme under sub-section(3) of Section 22 of the Act, which shall be released in accordance with the extant financial rules, procedures, and mechanisms of the Central Government.

4. Expenditure incurred by a State in excess of its normative allocation.- (1) As per the sub-section (2) of Section 22 of the Act, the fund sharing pattern between the Central Government and the State Governments shall be 90:10 for the North Eastern States, Himalayan States and Union territory (Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir) and 60:40 for all other States and Union territories with legislature.

(2) The Central Government shall determine the State-wise normative allocation for each financial year, based on the objective parameters notified by the Central Government under sub-section(5) of Section 22 of the Act.

(3) Any expenditure incurred by a State/Union Territory in excess of its Normative Allocation shall be borne by the State Government/Union Territory Government under sub-section (5) of Section 22 of the Act.

5. Manner and Procedure for Excess Expenditure by States/Union Territories.- (1) For the purposes of ensuring transparency, monitoring and informed assessment at the Central level, all expenditure under the Scheme, including expenditure in excess of the approved normative allocation, shall be captured through the designated Management Information System.

(2) The designated Management Information System shall enable component-wise and source-wise reporting of expenditure so as to distinctly identify the portion financed from Central assistance and the portion financed by the State Government on account of expenditure beyond the normative allocation.

(3) All such reporting and validation shall be carried out electronically through the designated Management Information System and in conformity with the extant fund-flow mechanism, as determined by the Central Government.

(4) Data relating to expenditure beyond normative allocation captured in the designated Management Information System shall form part of records for review, audit and financial management under the Scheme.

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.